कार्यालय जिला परिषद, जहानाबाद।

सैरातों की बन्दोवस्ती की आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद जहानाबाद की बैठक दिनांक 25.07.2016 में पारित प्रस्ताव के कंडिका 6 के आलोक में जहानाबाद जिले में जिला परिषदीय भूमि पर संचालित विभिन्न प्रखण्डो/शहरी क्षेत्रों में संचालित सब्जी मंडी, हॉट बाजार, सिन्दुरिया किराना इत्यादि का सैरात निर्माणतः अस्थायी वार्षिक बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नीचे अंकित जिला परिषदीय भूमि पर सैरातों की बन्दोबस्ती खुले डाक द्वारा विकास भवन जहानाबाद में 11 बजे पूर्वाहन में नीचे अंकित तिथिओं को की जाएगी।

क्रं0 सं0	जिला परिषदीय सैरातों की विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	अग्रधन की राशि	प्रथम डाक की तिथि	द्वितीय डाक की तिथि(बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में)	तृतीय डाक की तिथि(बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में)
1	जहानाबाद उँटा स्टेशन चाणक्या होटल के निकट अवस्थित जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 350 प्लॉट नम्बर 131 पर संचालित सब्जी मंडी का बन्दोबस्ती।	100000.00	10000.00	25.03.2019	28.03.2019	30.03.2019
2	टेहटा जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 1090 प्लॉट नम्बर 3605 एवं 36011 पर लगनेबाले बाजार की बन्दोबस्ती	50000.00	5000.00	25.03.2019	28.03.2019	30.03.2019
3	बन्धुगंज जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 109 प्लॉट नम्बर 07 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000.00	5000.00	25.03.2019	28.03.2019	30.03.2019
4	शकुराबाद जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 02 प्लॉट नम्बर 451पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000.00	5000.00	25.03.2019	28.03.2019	30.03.2019
5	हुलासगंज जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 125 प्लॉट नम्बर 1300,932,702/1311 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000.00	5000.00	25.03.2019	28.03.2019	30.03.2019
6	घोषी जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 1055 प्लॉट नम्बर 5311,5312 एवं 5313 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोवस्ती	50000.00	5000.00	25.03.2019	28.03.2019	30.03.2019
7	अरवल मोड से बभना दुर्गा मन्दिर तक जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 857 नया प्लॉट नम्बर 3500, खाता नम्बर 181 पूराना एवं प्लॉट नम्बर 11,14 एवं 15 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000.00	5000.00	25.03.2019	28.03.2019	30.03.2019
8	काको मोड से चमडा गोदाम तक जिला परिषदीय भूमि खाता नम्बर 350 प्लॉट नम्बर 317,500 एवं खाता नम्बर 53 प्लॉट नम्बर 35 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000.00	5000.00	25.03.2019	28.03.2019	30.03.2019
9	बतीस भवरिया पुल के निकट दुर्गा मन्दिर से जमुने पुल तक एवं अम्बेदकर चौक से एरकी पेट्रोल पम्प तक जिला परिषदीय भूमि खाता संख्या 468 प्लॉट नम्बर 829/1772,930,816,711 एवं 727 पर लगनेबाले हॉट बाजार की बन्दोबस्ती	50000.00	5000.00	25.03.2019	28.03.2019	30.03.2019

शर्तः–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को डाक के पूर्व आचरण प्रमाण–पत्र जमा करना होगा एवं जिला परिषद में कोई बकाया नहीं है इस आशय का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को सुरक्षित जमा का 10% राशि डाक में भाग लेने के पहले जिला परिषद में नगद जमा करना होगा।
3. सफल डाक वक्ता द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा राशि का समायोजन बन्दोबस्ती की राशि में एक मुस्त कर ली जाएगी तथा शेष व्यक्तियों को सुरक्षित जमा की राशि वापस कर दी जाऐगी।
4. विभागीय नियमानुसार बन्दोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को बन्दोबस्ती की राशि का मुद्रांक शुल्क के रूप में 6 प्रतिशत एवं निबन्धन शुल्क के रूप में 2% कुल 8% राशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा।
5. डाक में सफल होने वाले व्यक्ति को डाक की राशि का आधा एक मुस्त डाक समाप्ति के उपरांत तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष आधी राशि को दो किस्तों में तीन महीने के अन्दर जमा करना होगा।
6. डाक में सफल होने वाले व्यक्ति द्वारा राशि जमा नही करने की स्थिति में सुरक्षित जमा की राशि जब्त कर जी जायंगी तथा द्वितीय डाक वक्ता के साथ बन्दोबस्ती की जायेगी।
7. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति द्वारा सैरात भूमि पर किसी भी तरह का स्थायी संरचना का निर्माण नही करेंगें।
8. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्ति को जिला परिषद द्वारा पूर्व में बन्दोबस्त स्थायी दुकानदारों से किसी प्रकार का चुंगी वसूल नही करना होगा।
9. राजस्व विभाग अथवा जिला परिषद द्वारा निर्धारित चुंगी ही वसूलनीय होगी।
10. उच्चतम डाक की आधी राशि एवं एकरारनामा निबंधित होने के उपरांत ही चूंगी की बसूली का कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
11. कार्यादेश निर्गत करने के उपरांत ही उच्चतम डाक वक्ता चुंगी वसूली के हकदार होगे।
12. बिना पूर्व सूचना के एवं कारण बताए बन्दोवस्ती हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में परिवर्तन करने तथा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
13. विवाद की स्थिति में किसी भी वैधानिक कार्रवाई का कार्य क्षेत्र जहानाबाद होगा।

नोटः– बन्दोवस्ती संबंधी विशेष जानकारी जिला परिषद कार्यालय, जहानाबाद एवं जिला के बेवसाईट www.jehanabad.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, जहानाबाद ।